

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर०-148/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० रवि रंजन कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोंच, गया का दिनांक-24.01.2023 से 09.03.2026 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :-

i	दिनांक-24.01.2023 से 23.01.2026 तक (कुल-1096 दिन)	-	अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय पत्राक-2045(2) दिनांक-30.11.2011)।
ii	दिनांक-24.01.2026 से 25.01.2026 तक (कुल-02 दिन)	-	साप्ताहिक अवकाश के रूप में।
iii	दिनांक-26.01.2026 को (कुल-01 दिन)	-	राजपत्रित अवकाश के रूप में।
iv	दिनांक-27.01.2026 से 09.03.2026 तक (कुल-42 दिन)	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग में)।

2. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

सं०सं०-2/आर०-148/2026- 257(2) पटना, दिनांक 10/9/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/
पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया/
चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोंच, गया/कोषागार पदाधिकारी,
डा० रवि रंजन कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोंच, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Wahman 21/9/26
सरकार के उप सचिव।